किराया अनुबंध (आवासीय संपत्ति के लिए)

यह किराया अनुबंध दिनांक _ (माह) 20__ को (शहर, राज्य) में संपन्न हुआ:

- 1. जमींदार (मकान मालिक): (नाम), पुत्र/पुत्री (पिता का नाम), निवासी (स्थायी पता), आगे "जमींदार" कहलाएगा।
- 2. किरायेदार: (नाम), पुत्र/पुत्री (पिता का नाम), निवासी (वर्तमान पता), आगे "किरायेदार" कहलाएगा।

नियम एवं शर्तै:

1. संपत्ति का विवरण एवं उपयोग

जमींदार (पूरा पता) स्थित संपत्ति, जिसमें (कमरों, रसोई, बाथरूम की संख्या) शामिल है, किरायेदार को केवल आवासीय उपयोग के लिए देता है।

किरायेदार बिना लिखित अनुमति के वाणिज्यिक उपयोग नहीं कर सकता।

2. अनुबंध की अवधि

किराये की अवधि _ माह/वर्ष होगी, जो (प्रारंभ तिथि) से (समाप्ति तिथि) तक प्रभावी होगी। आपसी सहमति से अनुबंध का नवीनीकरण किया जा सकता है।

3. किराया एवं सुरक्षा राशि

मासिक किराया ₹___ होगा, जो हर माह की __ तारीख तक अग्रिम रूप से देना होगा। सुरक्षा जमा राशि ₹___ होगी, जो किरायेदारी समाप्त होने पर संपत्ति की स्थिति के अनुसार वापस की जाएगी।

4. भुगतान का तरीका

किराया भुगतान निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:
🗆 नकद 🗆 बैंक ट्रांसफर 🗆 चेक
खाता नाम:
बैंक नाम:
खाता संख्याः
आईएफएससी कोड:

5. रखरखाव एवं बिल भुगतान

किरायेदार जिम्मेदार होगा:

बिजली, पानी, गैस, इंटरनेट एवं अन्य उपयोगिता बिलों के भुगतान के लिए।

नियमित मरम्मत एवं साफ-सफाई का ध्यान रखने के लिए।

जमींदार जिम्मेदार होगा:

संरचनात्मक (मेजर) मरम्मत कराने के लिए।

6. समाप्ति एवं नोटिस अवधि

कोई भी पक्ष 30 दिन/ 1 महीने का पूर्व लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है। किरायेदार यदि बिना नोटिस के मकान खाली करता है, तो सुरक्षा जमा राशि जब्त हो सकती है।

7. प्रतिबंध एवं जिम्मेदारियाँ

किरायेदार बिना अनुमति के संपत्ति को उप-किराए पर नहीं दे सकता।

संपत्ति में कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं कर सकता। किरायेदार सफाई का ध्यान रखेगा एवं पड़ोसियों के लिए कोई असुविधा नहीं करेगा।

8. कानून एवं विवाद निपटान

यह अनुबंध भारतीय कानूनों द्वारा शासित होगा एवं कोई भी विवाद (शहर, राज्य) की अदालतों में निपटाया जाएगा।

9. हस्ताक्षर एवं गवाह

इस अनुबंध का दाना पक्षा न स्वच्छा स स्वाकार किया आर हस्ताक्षर किए।
जमींदार
नाम:
हस्ताक्षर:
किरायेदार
नाम:
हस्ताक्षर:
गवाह
1. नामः पताः हस्ताक्षरः
2. नाम: पता: हस्ताक्षर: